Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026 ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 20-05-2026 **Revised**: 25-05-2026 **Accepted**: 31-05-2026

आपराधिक प्रवृत्ति पर पारिस्थितिकी के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

* डॉ. सप्तमुनि द्विवेदी
फैकल्टी
विधि विभाग
अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा

** विनय प्रताप सिंह
शोधार्थी
एल–एल.एम.

अमूर्त :

मानव व्यवहार, पर्यावरण और अपराधशास्त्र के अंतर्संम्बंधों का विश्लेषण करता है। पारंपरिक रूप से अपराध को व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक या आनुवंशिक कमियों का परिणाम माना जाता था, लेकिन आधुनिक अपराधशास्त्र में पारिस्थितिकी अर्थात् सामाजिक, भौगोलिक और भौतिक परिवेश को एक मुख्य कारक माना गया है। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट करता है कि कैसे गंदी बस्तियॉ, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, संसाधनों का अभाव और पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों जन्म लेती हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक सुधार ही अपराध दर को प्रभावी रूप से कम कर सकते हैं।

शब्द कुंजी : आपराधिक पारिस्थितिकी, सामाजिक अव्यवस्था सिद्धांत,शहरीकरण, मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र।

प्रस्तावना:

अपराध एक सामाजिक बुराई है जो सभ्यता के विकास के साथ जटिल होती गई है। समाजशास्त्री क्लिफर्ड शॉ और हेनरी मैके ने स्थापित किया कि अपराध का संबंध व्यक्ति विशेष से अधिक उस स्थान और पर्यावरण से है जहां वह रहता है।[1]

पारिस्थितिकी से तात्पर्य केवल पेड़–पौधों या प्रकृति से नहीं है, बल्कि मानव पारिस्थितिकी से है, जिसमें भौतिक अवसंरचना, पड़ोस, आर्थिक असमानता और सामाजिक ताना–बाना शामिल हैं। जब किसी क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है (जैसे अत्यधिक गरीबी, बेरोजगारी, और बुनियादी सुविधाओं की कमी, भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता), तो वहां रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं में, विचलनकारी व्यवहार और आपराधिक प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है।

पर्यावरण का शब्द कोषीय अर्थ होता है. आस–पास या पास–पड़ोस, मानव जन्तुओं या पौधो की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य दशायें. कार्य प्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएँ आदि।[2]

किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आस–पास भौतिक वस्तुओं का आवरण, जिसके द्वारा मनुष्य घिरा होता है को पर्यावरण कहा जा सकता है। मुख्य रूप से व्यक्तियों का सन्दर्भ मनुष्य के पर्यावरण से होता है। पर्यावरण की अवधारण पर विभिन्न विषयों के विद्वानों ने अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये है।

यद्यपि इनके दृष्टि कोणो में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। फिर भी अध्ययन के लक्ष्य के अनुसार पर्यावरण के तत्वों के सन्दर्भ में अधिक संख्या में इसके दायरे को सीमांकित किये है। विधि में पर्यावरण का वही अर्थ है जो कि अन्य विषय के विद्वानों के लिये होता है। एक अपराध शास्त्री के लिये वे समस्त घटक जो कि मानव की चारो ओर से घेरे है, तथा जिसका प्रभाव मानव

[1]Oxford Advanced Learner's Dictionary

[2]Clifford R. Shaw and Henry D. McKay की पुस्तक Juvenile Delinquency in Urban Areas' (1942)

पर पड़ता है. पर्यावरण होता है। अर्थात पृथ्वी पर पाये जाने वाले वे समस्त घटक अथवा प्रक्रियाएँ जो मानव को किसी भी रूप में प्रभावित करती है, उसे पर्यावरण कहते है। इसके अन्तर्गत न सिर्फ मानव अपने पर्यावरण की उपज है का अध्ययन करते है. बल्कि उसके सांस्कृतिक क्रिया–कलापों के पक्ष को भी शामिल करना पड़ता है।

शॉ और मैके का सिद्धांत– अपराध दर शहर के केंद्र से बाहर की ओर जाने पर घटती है। जिन क्षेत्रों में गरीबी, आवासीय अस्थिरता और सांस्कृतिक विविधता अधिक होती है, वहाँ अपराध दर हमेशा अधिक होती है।[3]

रुटिन एक्टिविटी थ्योरी इसके अनुसार, अपराध के लिए तीन चीजों का एक समय में एक स्थान पर होना जरूरी है – एक प्रेरित अपराधी, एक उपयुक्त लक्ष्य, और एक सक्षम संरक्षक का अभाव।

पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख कारक :

1. गरीबी और बेरोजगारी :– आर्थिक तंगी व्यक्तियों को अवैध गतिविधियों (जैसे– चोरी, नशा तस्करी) की ओर धकेलती है।
2. भौतिक परिवेश – जीर्ण–शीर्ण आवास, खराब स्ट्रीट लाइटें और सुनसान इलाके आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देते हैं।
3. सामाजिक विघटन– टूटे हुए परिवार, कमजोर सामुदायिक संबंध और पड़ोस का खराब माहौल बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है।
4. शहरीकरण का दबाव– अत्यधिक भीड़भाड़ और प्रवासन के कारण तनाव और संघर्ष बढ़ते हैं, जो हिंसा का रूप ले लेते हैं।

अध्ययन का महत्व एवं उद्देष्य :

1. आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख पारिस्थितिकीय कारकों का अध्ययन।
2. भौतिक पर्यावरण और सामाजिक अव्यवस्था के बीच संबंध का विश्लेषण करना।
3. अपराध नियंत्रण के लिए पारिस्थितिकीय सुधारों और समाधानों को रेखांकित करना

उद्देश्य :

1. पारिस्थितकी का अपराधिक प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध ज्ञात इसे दूर करने में सहायक होता है।
2. पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट डकैती व गंभीर प्रकृति के अपराध के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना।
3. मैदानी क्षेत्रों में कृषि व व्यवसाय से सम्बंधित जमीन में कब्जा, साइबर क्राइम अधिक होने के कारणों का पता लगाकर इसे दूर करने का प्रयास करना।
4. औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक अपराध के साथ साथ बाल मजदूरी, बालकों का शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल अपचारिता व महिलाओं से सम्बंधित यौन अपराध अधिक हाने का कारणों का पता कर लोगों को जागरूक कर उसमें कमी लाने का प्रयास करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. पारिस्थितकी का अपराधिक प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध होता है।
2. तस्करी व सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट डकैती व गंभीर प्रकृति के अपराध अधिक होते हैं।
3. पहाड़ी क्षेत्रों में लूट, डकैती व रंगदारी जैसे अपराध बहुतायत होते हैं।

[3]**मार्कसफेल्सन (Marcus Felson)**और**लॉरेंसई. कोहेन (Lawrence E. Cohen)**द्वारावर्ष**1979** अमेरिकनसोशियोलॉजिकलरिव्यू' (American Sociological Review) नामकशोधपत्रिका

4. मैदानी क्षेत्रों में कृषि व व्यवसाय से सम्बंधित जमीन में कब्जा, साइबर क्राइम अधिक होते हैं।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है–

1. पारिस्थितकी का अपराधिक प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध ज्ञात करना।
2. पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट डकैती व गंभीर प्रकृति के अपराध के कारणों का पता लगाना।
3. मैदानी क्षेत्रों में कृषि व व्यवसाय से सम्बंधित जमीन में कब्जा, साइबर क्राइम अधिक होने की वजह क्या है।
4. औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक अपराध के साथ साथ बाल मजदूरी, बालकों का शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल अपचारिता व महिलाओं से सम्बंधित यौन अपराध अधिक हाने का कारण क्या है?

शोध समस्या का सीमांकन :

शोध का क्षेत्र रीवा जिले के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है–

1. रीवा शहरी क्षेत्र
2. सीमावर्ती क्षेत्र – डभौरा
3. औद्योगिक **क्षेत्र – नौवस्ता**

शोध विधियॉ :

प्रस्तुत अध्ययन में निम्निलिखित विधियॉ एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है–

साक्षात्कार विधि – इसके अन्तर्गत पहाड़ी एवं मेदानी दोनो क्षेत्रों के 50–50 व्यक्तियों से प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :

रीवा $24^{\circ}18'$ और 25° 12′ उत्तरी अक्षांशों तथा 81° 2′ और 82° 18′ के बीच स्थित है। यह जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश , पूर्व और दक्षिण.पूर्व में सीधी , दक्षिण में शहडोल और पश्चिम में सतना से घिरा है । रीवा जिला रीवा मंडल का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल 6,240 वर्ग किमी है । रीवा जिले के दक्षिण में कैमूर पर्वतमाला और उत्तर में बिंझ पहाड़ के बीच स्थित हैं और रीवा पठार या उपरीहार का निर्माण करती हैं। उत्तर में त्योंथर तहसील है, जो भौगोलिक और अन्य विशेषताओं में पठारी तहसीलों से काफी भिन्न है। रीवा पठार की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। दक्षिण में कैमूर पर्वतमाला समुद्र तल से 450 मीटर से अधिक ऊंची है, जबकि त्योंथर का जलोढ़ मैदान समुद्र तल से मात्र 100 मीटर ऊंचा है।

इस जिले का भूभाग विविध है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं भौगोलिक जलोढ़ मैदान, पहाड़ियाँ, खाइयाँ, ढलान, नदियाँ और झरने शामिल हैं। जिले का वर्षा जल गंगा की दो सहायक नदियों , टोंस या तमस और सोन के माध्यम से बहता है। बिछिया नदी रीवा शहर के मध्य से होकर बहती है।

डभौरा रीवा जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख कस्बा और नगर परिषद है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ तराई अंचल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र है। यह कस्बा दस्युग्रस्त, डकैती, फिरौती के लिये अपहरण का केन्द्र बना हुआ था, इस घने क्षेत्र व जंगलों व बीहड़ जो कि अपराधियों के छिपने के लिये आदर्श श्रेय क्षेत्र है।
डभौरा का रेलवे स्टेशन विभिन्न महानगरों को जोड़ता है। डभौरा में सड़क मार्ग से विभिन्न सीानों को जोड़ता है। यहॉ राष्ट्रय राजमार्ग एन. एच–09 स्थित है। यहाँ अपराध करने के बाद अपराधी सीमावर्ती क्षेत्रों के दूसरे प्रांतों में जाकर छिप जाते हैं।
औद्योगिक क्षेत्र नौवस्ता –यह रीवा शहरी क्षेत्र से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र है जहॉ पर विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियॉ स्थित है जैसे – जे.पी. , अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री इत्यादि । औद्योगिक क्षेत्र में धन की लालसा से विभिन्न प्रांतो से जिनकी अलग अलग पारिवारिक पृष्ठीाूमि होते यहॉ आते हैं तथा कुछ व्यक्तियों का कोई आवास या स्थाई

रूप से इनका निवास सीन नहीं होता है। तथा वे लम्बे समय तक अपने परिवार से दूर रहने के कारण उनमें कई प्रकार की मानसिक व शाररिक विकृतियां आ जाती है तथा वो समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं जैसे– नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, अप्राकृतिक कृत्य एवं बच्चावादी इत्यादि।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्याः
शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थो में तभी दिखता है जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

रीवा में वर्ष 2022 से 2024 तक कारित विभिन्न अपराध

तालिका क्र.01

स. क्र.	विभिन्न अपराध के मद	2021	2022	2023
1	हत्या	10	12	18
2	डकैती व लूट	01	03	02
3	अपहरण	01	02	03
4	जालसाजी व ठगी	15	18	22
5	साइबर अपराध	50	52	55
6	वेश्यावृत्ति	25	28	30
7	मादक पदार्थ का सेवन	40	45	50

(स्रोत– स्वयं के अवलोकन से)

ग्राफ–01

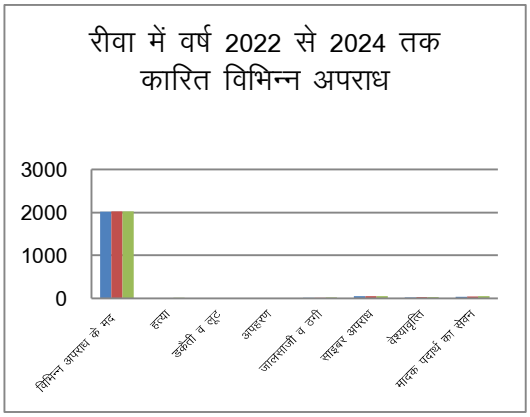

तालिका क्र. 01 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि रीवा जिले में वर्ष 2021 में हत्या के 10, डकैती एवं लूट के मामले 1, अपहरण सम्बंधी मामले 1, जालसाजी एवं ठगी के मामले 15, साइबर क्राइम 50, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 25 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 40 मामले दर्ज किये गये। रीवा जिले में वर्ष 2022 में हत्या के 12, डकैती एवं लूट के मामले 3, अपहरण सम्बंधी मामले 2, जालसाजी एवं ठगी के मामले 18, साइबर क्राइम 52, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 28 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 45 मामले दर्ज किये गये। रीवा जिले में वर्ष 2023 में हत्या के 14, डकैती एवं लूट के मामले 2, अपहरण सम्बंधी मामले 3, जालसाजी एवं ढेगी के मामले 18, साइबर क्राइम 55, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 30 एवं मादक पदार्थो सम्बंधित 50 मामले दर्ज किये गये। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हत्या, अपहरण, जालसाजी, साइबर अपराध, वेश्यावृत्ति एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है वहीं डकैती जैसे अपराधों में कमी आई है।

डभौरा में वर्ष 2022 से 2024 तक कारित विभिन्न अपराध

तालिका क्र.02

स.क्र	विभिन्न अपराध के मद	2021	2022	2023
1	हत्या	15	18	22
2	डकैती व लूट	10	12	14
3	अपहरण	12	14	16
4	जालसाजी व ढगी	05	06	8
5	साइबर अपराध	20	25	28
6	वेश्यावृत्ति	20	22	25
7	मादक पदार्थ का सेवन	25	27	30

(स्रोत– स्वयं के अवलोकन से)

ग्राफ.–02

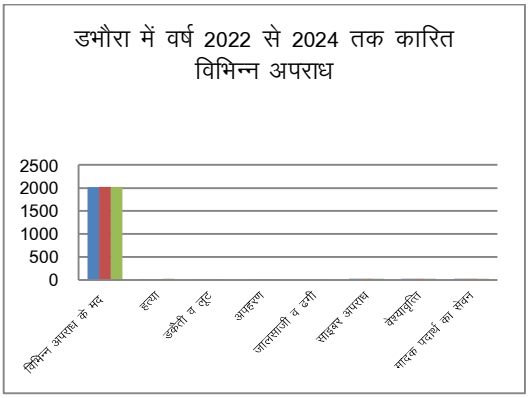

तालिका क्र. 02 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि रीवा जिले के डभौरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2022 में हत्या के 15, डकैती एवं लूट के मामले 10, अपहरण सम्बंधी मामले 12, जालसाजी एवं ढगी के मामले 5, साइबर क्राइम 20, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 20 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 25 मामले दर्ज किये गये। रीवा जिले में वर्ष 2022 में हत्या के 18, डकैटी एवं लूट के मामले 12, अपहरण सम्बंधी मामले 14, जालसाजी एवं ठगी के मामले 6, साइबर क्राइम 25, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 22 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 27 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2023 में हत्या के 22, डकैटी एवं लूट के मामले 14, अपहरण सम्बंधी मामले 16, जालसाजी एवं ठगी के मामले 8, साइबर क्राइम 28, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 25 एवं मादक पदार्थो सम्बंधित 30 मामले दर्ज किये गये। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हत्या,अपहरण,जालसाजी,साइबर अपराध, वेश्यावृत्ति एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

नौवस्ता में वर्ष 2022 से 2024 तक कारित विभिन्न अपराध

तालिका क्र.03

स. क्र.	विभिन्न अपराध के मद	2021	2022	2023
1	हत्या	08	09	11
2	डकैती व लूट	04	07	09
3	अपहरण	06	07	08
4	जालसाजी व ठगी	10	15	26
5	साइबर अपराध	52	53	55
6	वेश्यावृत्ति	60	70	80
7	मादक पदार्थ का सेवन	50	55	60

(स्रोत– स्वयं के अवलोकन से)

ग्राफ–03

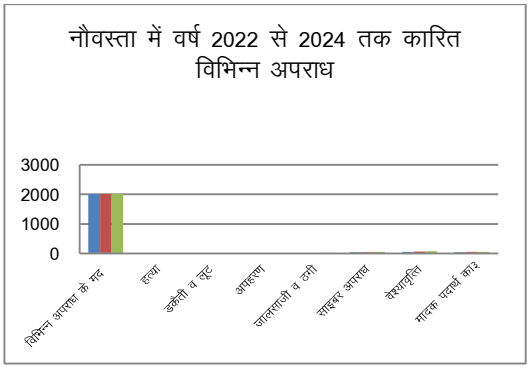

रीवा जिले के अन्तर्गत नवस्ता जो कि औद्यागिक क्षेत्र है से प्राप्त आंकड़ों को तालिका क्र. 03 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि रीवा जिले के नवस्ता औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2022 में हत्या के 8, डकैती एवं लूट के मामले 4, अपहरण सम्बंधी मामले 6, जालसाजी एवं ढगी के मामले 10, साइबर क्राइम 52, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 60 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 50 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2022 में हत्या के 9, डकैती एवं लूट के मामले 7, अपहरण सम्बंधी मामले 7, जालसाजी एवं ठगी के मामले 15, साइबर क्राइम 53, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 70 एवं मादक पदार्थो से सम्बंधित 55 मामले दर्ज किये गये। वर्ष 2023 में हत्या के 11, डकैटी एवं लूट के मामले 9, अपहरण सम्बंधी मामले 8, जालसाजी एवं ठगी के मामले 26, साइबर क्राइम 55, वेश्यावृत्ति सम्बंधी मामले 80 एवं मादक पदार्थो सम्बंधित 60 मामले दर्ज किये गये। उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2022 से 2024 तक विभिन्न अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष :

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है–

1. वर्ष 2022 से 2024 के बीच में हत्या, के सर्वाधिक मामले रीवा जिले के सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्र डभौरा में दर्ज हुए हैं इसका कारण यह है कि डभौरा जिले से दूर एक पहाड़ी व जंगली इलाका है यहॉ पर लोग अपराध के बावजूद आसानी से छिपने के लिए पर्याप्त स्थान हे। जिससे सिद्ध होता है कि पारिस्थितकी का अपराधिक प्रवृत्ति के साथ प्रत्यक्ष सम्बंध होता है।
2. वर्ष 2022 से 2024 के बीच में डकैती एवं लूटपाट के मामले सर्वाधिक मामले रीवा जिले के सीमावर्ती व पहाड़ी क्षेत्र डभौरा में दर्ज हुए हैं इसका कारण यह है कि डभौरा जिले से दूर एक पहाड़ी व जंगली इलाका है है यहॉ पर लोग डकैती एवं लूटपाट के बाद आसानी से

पकड़ में नही आते है। जिससे सिद्ध होता है कि पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों में लूट डकैती व गंभीर प्रकृति के अपराध अधिक होते हैं।

3. वर्ष 2022 से 2024 के बीच रीवा व औद्योगिक क्षेत्र नवस्ता में सर्वाधिक घटनाये जमीन में कब्जा व साइबर क्राइम की घटनाये घटित हुई क्योंकि यहॉ पर आर्थिक सम्पन्नता होती है , लोगों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में कृषि व व्यवसाय से सम्बंधित जमीन में कब्जा, साइबर क्राइम अधिक होते हैं।
4. वर्ष 2022 से 2024 के बीच रीवा के औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत नवस्ता में सर्वाधिक घटनाये बाल मजदूरी, बालकों का शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल अपचारिता व महिलाओं से सम्बंधित यौन अपराध की घटनाये अधिक हुई हें क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग नौकरी करने फैक्ट्रियों में आते है व आवास न होना, सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध कराना व पैसों का लालच देकर व्याभिचार कार्य हेतु प्रेरित करना। नवस्ता का क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है जहॉ पर कुछ लोगों के आर्थिक स्रोत बहुत कमजोर है व रोजगार की संभावनाएँ कुछ लोगों के लिए न के बराबर है जिससे लोग तरह तरह के व्याभिचार करने लगते है । इस कारण से औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक अपराध के साथ साथ बाल मजदूरी, बालकों का शोषण, वेश्यावृत्ति, बाल अपचारिता व महिलाओं से सम्बंधित यौन अपराध अधिक होते है।

संदर्भः

1. आहूजा, राम : अपराध शास्त्र, रावत पब्लिकेशंस
2. बॉटोमर, टी.बी. (2015) समाजशास्त्रः समाज का एक विश्लेषण, किताब महल
3. सिंह, जे.पी. 2021 : सामाजिक जनसांख्यिकी और पारिस्थितिकी, रावत पब्लिकेशंस।
4. शुक्ला, के.एस. (1987) भारत में अपराध और आपराधिक न्याय, नॉटन प्रेस।
5. मध्य प्रदेश में अपराध के स्थानिक प्रतिरूपः रीवा संभाग का एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अंक 12(2)
6. द्विवेदी, एस्. एवं मिश्रा. पी.के. (2024) : 'बुंदेलखंड और बघेलखंड में सामाजिक. पारिस्थितिक कारक और अपराध दर सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 35(4)
7. मध्य प्रदेश पुलिस विभाग वार्षिक अपराध समीक्षा प्रतिवेदन, रीवा जोन पुलिस।